PUBLIC WORKS DEPARTMENT
BUILDINGS AND ROADS BRANCH

The 9th March, 1983

No. 14/39/82-PWIV(2).—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification given below is needed by the Government, at public expense, for public purpose, namely, for construction of coaxial staff quarters for the residence of maintenance personnel for maintaining the long distance Telephone circuits at Yamuna Nagar in the area of village Gobindpuri, Khasra No. 496, 497, Hadbast No. 414, tehsil Jagadari, district Ambala, it is hereby notified that the land in the locality described in specification below is needed for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquistion Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

In exercise of the power conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorises the officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required and permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality, may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Offical Gazette file objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana, Public Works Department, Buildings and Roads Branch, Ambala Cantt.

The plans of land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector-cum-Sub Divisional Officer (Civil), Yamuna Nagar, district Ambala.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Khasra No.	Area in yds	Hadbast No.
Ambala	Jagadhari	Gobindpuri	496, 437	45×55	414
Haryana)				(2475 sq. yds)	
				(.511 Acre)	

K. K. SHARMA,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Public Works Department, Buildings and Roads Branch.

WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT

The 3rd March, 1983

No. 7/3/80-SW(4).—In supersession of Haryana Government, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Notification No. 7/3/80-SW (4), dated the 18th March, 1981, in pursuance of the provisions of article 94 (a) of the Articles of Association of the Haryana Backward Classes Kalyan Nigam P (Ltd), constituted under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), the Governor of Haryana is pleased to appoint the following as Non-Official Directors of the said Nigam :—

NON-OFFICIAL DIRECTORS

1. Shri Subhash Sharma Khati, c/o Rama Industries, Rewari.
2. Shri Mani Ram Muni, President, Backward Classes Federation, Kath Mandi, Gohana (Sonepat)
3. Shri Shree Chand Kashyap, Meham Road, Gohana (Sonepat).
4. Shri Aad Ram Arya, Village Harikot, Post Office Mangali, Tehsil and District Hissar.

5. Shri Jaiveer Singh, Verma, son of Shri Gulshan Verma, 11-A/53, Dak Bangla Bridge, Thandi Sarak, Hissar.

6. Shri Dinesh Kumar Verma, s/o Shri Sher Singh Verma, Arya Nagar, House No. 20, Rohtak.

2. The Non-official Directors shall drw travelling allownce as under:—

(a) Non-official at one 1st Class Railway fare plus incidental allowance and road mileage as well as daily allowance as admissible to a 1st Grade Government employee drawing a pay of Rs. 2,000 and above but less than Rs. 2,400 per mensem. The other conditions laid down in the Punjab T. A. Rules for Government employees will also apply to journeys sperformed by non-officials except where otherwise provided.

(b) The Managing Director, Haryana Backward Classes Kalyan Nigam P (Ltd), will be the controlling officer for countersinging the T. A. bills of the non-official Directors.

(c). The expenditure on account of the T. A/D. A bills of the non-official Directors of the Haryana Backward Classes Kalyan Nigam will be met by the Nigam itself.

The 7th March, 1983

No. 829-A-SW-(4)-83.—In pursuance of the Article 41 of Articles of Association of the Haryana Harijan Kalyan Nigam (Ltd), constituted under the Companies Act, 1956 (No.1 of 1956), the Governor of Haryana is pleased to enhance the authorised Share Capital of the Haryana Harijan Kalyan Nigam (Ltd.,) from Rs. Five Crore to ten Crore divided into 1,00,000 equity shares of Rs. 1,000 each.

2. Arttcle 4 of the Articles of Association of Haryana Harijan Kalyan Nigam (Ltd), may be deemed to have been amended accordingly.

S. K. SHARMA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 8 फरवरी, 1983

क्रमांक **41-ज(II)-83/4444**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के रज्यपाल मेजर रण सिंह, पुत्र कप्तान मौजी राम, गांव धान्धलान, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ़, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 9 फरवरी, 1983

क्रमांक **4-ज(I)-83/4514**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3 (1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती हुकम कौर, विधवा श्री धर्म सिंह, गांव रजौली, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की, युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 17 फरवरी, 1983

क्रमांक **26-ज(II)-83/5702**.—श्री खेम चन्द, पुत्र श्री देस राम, गांव गोरिया, तहसील झज्जर, (अब कोसली), जिला रोहतक, की दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री खेम चन्द को मुब्लिग

200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4766-जे.-एन.-III-66/10295, दिनांक 3 जून, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर.-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सुन्दर देवी के नाम खरीफ़, 1981 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 93-ज(II)-83/5706.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री भरत सिंह, पुत्र श्री गिरधारी लाल, गांव खुंगाई, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 85-ज(II)-83/5710.—श्री घीसा राम, पुत्र श्री केवल, गांव मोहनपुर, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 8 अप्रैल, 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री घीसा राम को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6495-आर.-III-69/2691, दिनांक 5 फरवरी, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर.-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती मोहरली देवी के नाम खरीफ़, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 फरवरी, 1983

क्रमांक 48-ज(II)-83/5792.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती हरकौर, विधवा श्री राज सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, को खरीफ, 1964 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 फरवरी, 1983

क्रमांक 1935-ज(II)-82/6217.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1ए)(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री माना राम, पुत्र श्री हरमल, गांव ढ़ाणी मीरान, तहसील व जिला भिवानी, को उसके तीन लड़कों द्वारा आपात काल के समय भारतीय सशस्त्र सेना में सेवा करने के नाते खरीफ़, 1964 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की युद्ध जागीर हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5982-आर-(4)-67/4610, दिनांक 4 दिसम्बर, 1967, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई गई थी, अब उसे उसके चौथे लड़के द्वारा भी आपात काल के समय में भारतीय सशस्त्र सेना में सेवा करने के नाते रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये प्रति वर्ष बजाए 140 रुपये वार्षिक खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक की बजाए 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की बजाये 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 23 फरवरी, 1983

क्रमांक 15-ज(II)-83/6370.—श्री रिसाल सिंह, पुत्र श्री रामू, गांव बराही, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, की दिनांक 16 जून, 1981, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रिसाल सिंह

को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1273-र-III-70/9666, दिनांक 29 अप्रैल, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दलीप कौर के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 24 फरवरी, 1983

क्रमांक 67-ज(I)-83/5512.—श्री बधावा सिंह, पुत्र श्री गंगा सिंह, गांव रायेवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को दिनांक 24 नवम्बर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बधावा सिंह को मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342-र-4-66/1005, दिनांक 10 अप्रैल, 1967, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति पारकौर के नाम खरीफ 1981 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 68-ज(I)-83/6546.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गुरदियल सिंह सोनी, पुत्र श्री मोहन लाल, गांव तुर्कपुर, तहसील व जिला सोनीपत, को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1939-ज(I)-82/6550.—श्री मनोहर लाल, पुत्र श्री गंगा सहाय, गांव धामडीज, तहसील व जिला गुड़गांव, की दिनांक 20 अगस्त, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोहर लाल को मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 631-ज-II-74/20252, दिनांक 20 जून, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती नथिया देवी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 25 फरवरी, 1983

क्रमांक 72-ज(I)-83/6765.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 19498-जे.एन.-III-66/21322, दिनांक 20 अक्तूबर, 1966 अनुसार जो जागीर श्री भोजा राम बतरा, पुत्र श्री कर्म चन्द बतरा, गांव पिलखनी, तहसील व जिला अम्बाला, के नाम प्रदान की गई थी खरीफ 1965 से ही मन्सूख समझीजाए।

दिनांक 28 फरवरी, 1983

क्रमांक 131-ज(II)-83/7016.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शेर सिंह, पुत्र श्री नौरंग, गांव चिड़िया, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

टी. आर. तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।